बिहार सरकार,
मानव संसाधन विकास विभाग।

अधिसूचना

संख्या :– 7/स्था० 2–13/08 मा० **1054** दिनांक:–**03.07.2009**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार राज्य राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक (स्थानान्तरण) नियमावली, 2006" में संशोधन करने के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ ।– (1) यह नियमावली बिहार राज्य राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक (स्थानान्तरण) संशोधन नियमावली, 2009 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह संशोधन नियमावली अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत होगी।

2. बिहार राज्य राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक (स्थानान्तरण) नियमावली, 2006 के नियम 3 'ख' के वाद एक उप कंडिका (ग) निम्नवत जोड़ा जायेगा :–

(ग) जिला शिक्षा अधीक्षक तथा शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों की अनुशंसा के आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा प्रारंभिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/सहायक शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा अधीक्षक को आदेश दिया जा सकेगा। प्रशासनिक आधार से निम्नांकित अभिप्रेत है :–

(i) प्रधानाध्यापक/सहायक शिक्षक की गतिविधियों का विद्यालय के अनुशासन तथा शैक्षणिक वातावरण पर कुप्रभाव पड़ रहा हो तथा विद्यालय के हित में उन्हें स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हो।

(ii) प्रधानाध्यापक/सहायक शिक्षक ऐसी वित्तीय अनियमितता जिसमें सरकारी राशि के गबन एवं अपराधिक मामले सन्निहित हों, में संलिप्त पाये जायें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

2/7/09

(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 7/स्था० 2–13/08 **1054**/ पटना, दिनांक :–**03.07.2009**

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला पदाधिकरी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी

अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय निरीक्षिका–बिहार, पटना/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी विद्यालय उप निरीक्षिका/सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 7/स्था० 2–13/08 **1054** पटना, दिनांक :–**03.07.2009**

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे अगले असाधारण गजट में प्रकाशित करें तथा 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार पटना को उपलब्ध करावें।

(अंजनी कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।